संख्या-13/2021/786/94-1-2021-312(83)/2015-सेवराई

प्रेषक,

अजय कुमार अवस्थी,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन |

सेवा में,

महानिरीक्षक निबंधन,
उ०प्र० लखनऊ |

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक : 07 सितम्बर, 2021**

विषय : रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा-05 एवं 07 के अधीन नवसृजित तहसील सेवराई, जनपद गाजीपुर में उप रजिस्ट्रीकरण कार्यालय के सृजन एवं कार्यालयों को संचालित करने हेतु पदों के सृजन व वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में |

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-454 तीन-ए-एम-562/शि0का0लख0/2021, दिनांक 09 फरवरी, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सेवराई, जनपद गाजीपुर में उप निबंधक कार्यालय की स्थापना हेतु पदों के सृजन व वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है |

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव पर विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया नवसृजित तहसील सेवराई, जनपद गाजीपुर में उप निबंधक कार्यालय की स्थापना हेतु निम्नलिखित अस्थायी पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमान में दिनांक 28 फरवरी, 2022 तक के लिए यदि ये पद इससे पूर्व किसी सूचना के समाप्त न कर दिए जायें, सृजित किये जाने पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

क्र0	नवसृजित तहसील जहाँ उप निबंधक कार्यालय की स्थापना की जानी है	पदनाम	वेतनमान	अस्थायी रूप से सृजित पदों की संख्या
1	सेवराई, जनपद गाजीपुर	उपनिबंधक	लेवल-10, रुपये 56100-177500	एक
		निबंधन लिपिक	लेवल-3 रुपये 21700	एक

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-91 के लेखाशीर्षक 2030-स्टाम्प पंजीकरण-03-पंजीकरण-001 निदेशन तथा प्रशासन 04-जिला व्यय के सुसंगत इकाई से वहन किया जायेगा |

4- नवसृजित उपनिबंधक कार्यालय सेवराई, जनपद गाजीपुर की साज-सज्जा, फर्नीचर, कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा जनरेटर क्रय हेतु आवश्यक व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18 मई, 2020 में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन तथा क्रय सम्बन्धी सुसंगत नियमों व शासनादेशों के अन्तर्गत किया जायेगा |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0प0सं0-ई-9-942-दस-2021-22 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं |

भवदीय

अजय कुमार अवस्थी

विशेष सचिव |

संख्या-13(1)/2021/786/94-1-2021 एवं तद्दिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीये, उ0प्र0 प्रयागराज |

2- महानिरीक्षक निबंधन/आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0 |

3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त |

4- सम्बन्धित जिलाधिकारी |

5- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी |

6- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2

7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9

8- सम्बन्धित सहायक महानिरीक्षक निबंधन/उप महानिरीक्षक निबंधन |

9- गार्ड फाइल |

आज्ञा से,

अशोक कुमार पाण्डेय

अनु सचिव|

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।